उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-196/2017/2047/92-2-2017-04सूचना/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 03 नवम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-बलरामपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्ग श्रीदत्तगंज गोमडी से चवई खुर्द तक लिंक मार्ग में निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के फलस्वरूप मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा की गयी जॉच आख्या दि0 31-03-2017 एवं 26-04-2017 में परिलक्षित शासकीय क्षति की धनराशि रू0 7,48,672.00 के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री ए0के0 सक्सेना, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-93/2017/961/92-2-17-04सूचना/17,दि0 19-06-2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ से सम्बद्व करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत अनुशासिनक जांच में जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल -लखनऊ के स्थान पर अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-196/2017/2047(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परि0-कानपुर को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र (संलग्नक सहित) मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ।

4- श्री ए0के0 सक्सेना, तत्का0 अधिशासी अभियंता,ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बलरामपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in